राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1389/2024

आरती शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सवाई माधोपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चित्तौडगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.03.2024

आदेश की दिनांक : 28.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पीटीआई ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, निमली खुर्द, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने अपने निवास स्थान चित्तौडगढ़ जिले में पदस्थापन हेतु प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 01.09.2023 को प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। अपीलार्थी के ससुर जो 75 वर्ष के वृद्ध हैं और गंभीर बीमारियों से पीडित हैं, जिनका निरंतर उपचार चल रहा है और छोटे बच्चे भी हैं, जिनकी देखभाल के लिये अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है, फिर भी

अपीलार्थी का पदस्थापन 300 कि.मी. दूर किया गया है। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, जिसका निस्तारण नहीं किया गया जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि चित्तौडगढ़ जिले के अंदर कई पद विद्यालयों में रिक्त हैं। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित कर सकता है, परंतु अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुये प्रत्यर्थी विभाग ने 300 कि.मी. दूर पदस्थापित किया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन दिनांक 01.09.2023 का नियमानुसार निस्तारण कर अपीलार्थी को सूचित किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पीटीआई ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, निमली खुर्द, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को अनुलग्नक–1 दिनांक 01.09.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा नजदीकी पदस्थापन के संबंध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन दिनांक 01.09.2023 को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य